

# न्यायालय नायब तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

प्रकरण संख्या - 11/2023

तारीख रजू/ 28.06.2023

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का मथुराहेडा

बनाम

दाताराम पुत्र श्री शिवलाल कौम गुर्जर निवासी अजीतपुरा

निर्णय

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत

निर्णय दिनांक :- 18.07.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अजीतपुरा की आराजी खसरा नम्बर 164/362 कुल रकबा 0.03 हेक्टर किस्म जमीन बंजड में से 0.01 हेक्टर रकबे पर श्री दाताराम पुत्र श्री शिवलाल गुर्जर ने अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पुख्ता पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मथुराहेडा द्वारा दिनांक 28.06.2023 को अतिक्रमी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय टाईड भू.अ.निरीक्षक टिटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी श्री दाताराम पुत्र श्री शिवलाल कौम गुर्जर निवासी अजीतपुरा को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी दाताराम पुत्र श्री शिवलाल गुर्जर उपस्थित नहीं आया।

उक्त रकबा आराजी खसरा नम्बर 164/362 कुल रकबा 0.03 हेक्टर किस्म जमीन बंजड है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.02 रुपये का 50 गुणा 1 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। हल्का पटवारी को पैनलटी राशि वसूल कर राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते हैं। मांग कायमी हेतु टीआए कार्यालय हाजा को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी मथुराहेडा, भू.अ.निरीक्षक टिटपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्री. श. अ. 4 के एडवोकेट 128... का नाम...

दिनांक 2023-07-25... का नाम...

श्री कावमी की गई

दाताराम राजस्व इकाई  
कठूमर अलवर

तहसीलदार  
कठूमर, अलवर (राज.)  
कठूमर अलवर, राज.